न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
सुपौल

समक्ष - सच्चिदानंद सिंह,
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
सुपौल ।

सुपौल, दिनांक - 20वीं, फरवरी, 2014

जी0आर0 1427/08
मरौना -102/08
विचारण संख्या- 359/14

सरकार - द्वारा - उमदा देवी, पति- विलट यादव, सा0- खुशियाली, थाना- मरौना, जिला- सुपौल ---------- सूचक

बनाम

1. फुलदेव यादव, पिता-स्व0 रासबिहारी यादव---- उम्र करीब50 वर्ष
2. जयकृष्ण यादव, पिता-स्व0 रासबिहारीयादव---- उम्र करीब 65वर्ष
3. कमल यादव, पिता-स्व0 चानीदत्त यादव--------उम्र करीब 35 वर्ष
4. अशोक यादव, पिता- स्व0चनीदत्त यादव-------उम्र करीब 40 वर्ष

सभी सा0- खुशियाली, थाना- मरौना, जिला- सुपौल

---------- अभियुक्तगण

अभियोजन की ओर से -
प्रतिरक्षा की ओर से -
आरोप अन्तर्गत धारा - 380/34, 504/34, 341/34, 448/34, 324/34भा0 दं0 वि0

नि र्ण य

1. उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 380/34, 504/34, 341/34, 448/34, 324/34 भा0 दं0 वि0 के आरोपका गठन किया गया एवं विचारण किया गया ।

2. अभियोजन का संक्षेप में केस यह है कि सूचिका उमदादेवी ने थाना प्रभारी के यहाँ दिनांक29.11.08 को बयान दिया कि " मैं आज पुआल का बोझा लेकर बाथ से आ रही थी इसी के खेत का आर धरकर जोपूरे गांव का रास्ता है । उसी समय अशोक यादव की पत्नी ने पुआल खींचकर गिरा दिया और बोली कि तुमसे झगड़ा चल रहा है तो तुम मेरे धान की आरी से क्यों जा रही हो इसी बात पर दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी । बादमें अशोक यदव एवं कमल यादव आया और हसुआ

से मारने लगा और बोला कि इसको जान से मार दो । इसके बाद जयकृष्ण यादव आया और पसटठा से मारने लगा । जयकृष्ण यादव का भाई कुलदेव यादव, आया और मारने लगा । मैं बेहोश होकर गिर गयी हल्ला होने पर मेरे गांव के लोग दौड़कर आये गांव के लोग फिर मेरे पत्थरघट्टा गये और मेरे घर से बक्सा से जो जिल्दी गेहूं लगाने के लिये तीन हजार रुपया रखा था उसे अशोक यादव व उस समय मेरा हंसुली 22 भरी था ले लिया ।

3- सूचिका के बयान के आधार पर मरौना थाना कांड संख्या 102/08 दिनांक 29.11.08 धारा 341,323,379,380,448/34 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा केस के अनुसंधान भार सहायक अवर निरीक्षक एस० आई० के० पी० सिंह को सौंपा गया । अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र संख्या 01/09 दिनांक 7.1.09 अन्दर धारा 448,341,323,324,504,/34 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक यादव, कमल यादव , जयकृष्ण यादव, कुलदेव यादव के विरुद्ध समर्पित किया गया । दिनांक 23.07.09 को अभिलेख में उपलब्ध सामग्री एवं आरोप पत्र के आधार पर धारा 448,341,323,324,504, /34 भा० दं० वि० के आरोप का संज्ञान लिया गया तथा अभिलेख को विचारण के लिए निचली संचिका में रखा गया । अभियुक्तगण उपस्थित हुआ । उभय पक्षों को सुना गया । अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिनांक 23.8.11 को अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 341,323,324,448, 504/34 भा० दं० वि० के आरोप का गठन किया गया जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में सुनाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया ।

4- विचारण के दौरान दोनों पक्षों की ओर से संधि पत्र दाखिल किया गया परन्तु आरोप की धारा 380 भा० दं०वि० संधि योग्य नहीं होने के कारण अभिलेख का निस्तारण अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। पी० डब्लू० 1 उमदा देवी का परीक्षण कराया गया अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराने की बात अभियोजन द्वारा लिखकर दिया गया जिसके चलते अभियोजन का साक्ष्य बंद किया गया और अभियुक्तों का बयान लिया गया । अभियुक्तों ने बयान में अपने को निर्दोष बताया । प्रतिरक्षा की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

निष्कर्ष

5. [illegible] है कि [illegible] अभियोजन [illegible] धारा 380,324 [illegible] सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ।

6. अभियोजन का [illegible] यह है कि सूचिका [illegible] दिनांक 2[illegible].11.[illegible] को [illegible] हुआ [illegible] की [illegible] रखा है [illegible] लिखित [illegible] और बोली कि तुमने [illegible] की आती है क्यों आ रही हो । इसी बात पर [illegible] हल्ला होने लगी । बाद में अशोक यादव [illegible] यादव [illegible] और [illegible] के मारने लगा और बोला [illegible] जान से मार दो । उसके बाद [illegible] यादव आया और [illegible] से मारने लगा । [illegible] यादव का भाई [illegible] यादव आया और मारने लगा । मैं बेहोश होकर गिर गयी । हल्ला होने पर [illegible] गाँव के लोग दौड़कर आये । [illegible] लिए तीन हजार रुपया रखा था । अशोक यादव जाते समय मेरा 22 [illegible] का हंसुली [illegible] से छिन लिया ।

7. अभियोजन की ओर से सूचिका पी0 डब्लू0 1 [illegible] देवी ने अपने साक्ष्य में कहा कि लगभग छः वर्ष पूर्व समय करीब 8-9 बजे सुबह का था । खेत से घुआल लेकर आ रही थी । अशोक यादव के खेत के द्वार पर आयी तो अशोक यादव की पत्नी बोली कि हमारे द्वार पर क्यों आयी तो हमने बोला कि सभी लोग जाते हैं तो हम भी जायेंगे । इसी बात पर जयकृष्ण यादव, कमल यादव, अशोक यादव सुरेश यादव सभी लोग हमको हसुआ के बेंट से मारा तो हम वहीं बेहोश होकर गिर गये गाँव की गोतनी उसको उठाकर ले गयी । मुदालय लोग घर में घुसकर बक्सा पेटी उठाकर ले गये जिसमें गहना, कपड़ा वगैरह था । मेरा भाई बाबा जी थाना पर ले गया 2 मैं वहीं बोलकर अपना बयान लिखवायी थी जो पढ़कर सुनाया गया था जिस पर सही पर अपना अंगूठा निशान बनायी मुदालय कोर्ट पहचानती हूँ । परन्तु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि हमने अभियुक्तों से केस राजी खुशी से सुलह कर लिया है। केस नहीं लड़ना चाहती हूँ । संधि पत्र पर निशान बनायी हूँ । बेहोश थी कौन क्या सामान लिया यह मैंने नहीं देखा । इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी का परीक्षण अभियोजन पदाधिकारी द्वारा कराने से इन्कार किया गया है तथा इसका आवेदन

जी०आर०नं० 1427/08

दिनांक 22.2.14 को दिया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियोजन यह साबित करने में सफल हो सके कि अभियुक्तगण सूचिका के घर में घुसकर [illegible] ले गये। अभियोजन द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों को [illegible] में बताया गया है वह 341,323,448,504 भा० द० वि० शमनीय योग्य है। जहाँ तक धारा 380,324 भा० द० वि० का प्रश्न है उसके संबंध में यद्यपि साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है तथा डाक्टर की गवाही भी नहीं करायी गयी है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप की धारा 380,324 भा० द० वि० का युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है।

आदेश

चूँकि सभी अभियुक्तों को भा० द० वि० की धारा 380,324 [illegible] के आरोप से साक्ष्य के अभावमें संदेह का लाभ देकर निर्दोष पाकर रिहा कियाजाता है तथा इन्हें बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित कियाजाता है।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
सुपौल
दिनांक -20.2.14

लेखापित

एस० एन० सिंह
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
सुपौल
दिनांक - 20.2.14